न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 79 / 2020

पुरूषोत्तम पुत्र चरनसिंह,निवासी सिरसोंदा,तहसील व पो0आ0 रूपवास जिला भरतपुर।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर
(अंतरित प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख कलक्ट्रेट,भरतपुर)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 29.10.2020**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री पुरूषोत्तम पुत्र चरनसिंह,निवासी सिरसोंदा,तहसील व पो0आ0 रूपवास जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 13. 08.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी-प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग/ प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख कलक्ट्रेट,भरतपुर कलक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग/ प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख कलक्ट्रेट,भरतपुर कलक्ट्रेट,भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 599–600 दिनांक 13.10.2020 के द्वारा प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग/ प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख कलक्ट्रेट,भरतपुर कलक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग /भू.अ. कलक्ट्रेट भरतपुर से अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबंध में प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर ने अपने पत्रांक 4564 दिनांक 21.08.2020 से अवगत कराया है कि वांछित सूचना उनके कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होने के कारण प्रार्थी का आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख कलक्ट्रेट,भरतपुर को अन्तरित कर प्रार्थी को [illegible] निर्देशित किया गया,जिसकी सूचना प्रार्थी को भी दी गई है। [illegible] सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी भू. अभिलेख कलक्ट्रेट,भरतपुर से [illegible] दिनांक 26.10.2020 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ [illegible] गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में [illegible] किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएं प्रभारी अधिकारी सा[illegible] अनुभाग/ प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख कलक्ट्रेट,भरतपुर कलक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने वांछित सूचनाऐं उपलब्ध कराने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Natamal Didel
Date: 2021.02.26 16:26:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख कलक्ट्रेट,भरतपुर ने पत्र कमांक/6853 दिनांक 26.10.2020 से अवगत कराया है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दु सं01 व बिन्दु सं02 की आंशिक सूचना उनके कार्यालय पत्रांक 5641 दिनांक 11.09.2020 के द्वारा प्रार्थी को उपलब्ध करादी गई हैं। बिन्दु सं0 2 की शेष आंशिक सूचना तहसीलदार रूपवास,वैर,कामां,भुसावर पहाड़ी व बिन्दु संख्या 3,4 की सूचना तहसीलदार रूपवास से सम्बन्धित होने के कारण कार्यालय पत्रांक 5135–39 दिनांक 27.08.2020 से धारा 6(3) के तहत अन्तरित की गई । इनमें से तहसीलदार रूपवास ने अपने पत्रांक 86/07.10.2020 से प्रार्थी को सूचना उपलबध करादी गई है । तहसीलदार पहाड़ी ने सूचना उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण उपलब्ध नहीं कराया जाना अवगत कराया है। इसी प्रकार तहसीलदार वैर ने पत्रांक 151 दिनांक 26.10.20 से, तहसीलदार कामां के द्वारा पत्रांक 1154 दिनांक 26.10.2020 व तहसीलदार भुसावर ने पत्रांक 2446 दिनांक 26.10.2020 के द्वारा सूचित किया है कि प्रार्थी को सूचना शुल्क जमा करा सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया किन्तु प्रार्थी द्वारा सूचना शुल्क जमा नहीं कराने के कारण उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है ।

इस प्रकार प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख कलक्ट्रेट,भरतपुर एवं तहसीलदार रूपवास द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है । तहसील पहाड़ी में वांछित कोई सूचना उपलब्ध नहीं होना अवगत हुआ है । तहसील कामां,वैर,भुसावर की सूचना से सम्बन्धित सूचना की बावत प्रार्थी द्वारा निर्धारित सूचना शुल्क जमा नहीं कराने पर सम्बन्धित के द्वारा सूचना उपलबध नहीं कराई गई है । फिर भी प्रार्थी उक्त तहसील कार्यालयों से सूचना चाहने का इच्छुक हो तो नियमानुसार शुल्क जमा कराकर वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है ।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख कलक्ट्रेट,भरतपुर से प्राप्त पत्र व उसके संलग्नकों के साथ) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख कलक्ट्रेट,भरतपुर को भी भेजी जावे ।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:26:17 IST
Reason: SelfAttested